Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

रुकमणी पुत्री ठाकरी गाडरी		बनाम	केसर पुत्री ठाकरी गाडरी वगैरहा।
किस्मा मुकदमा	राजस्व प्रार्थना पत्र	नं0	35
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	सन्	**2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 02.08.2024	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री मंजूर मोहम्मद डायर हाजिर होकर अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस करने का आदेश दिया गया, जिस पर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस प्रार्थना–पत्र की गई। हमने अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम भोपालगढ पटवार हल्का भोपालगढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 365 मे आराजी नम्बर 634/1 रकबा 0.5058 हैक्टयर, आराजी नम्बर 876/3 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 883 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 884 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 888 रकबा 0.3288 हैक्टयर, आराजी नम्बर 889/2 रकबा 0.0632 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 1.4163 हैक्टयर भूमि स्थित है एवं इसी प्रकार सरहद नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 127 मे आराजी नम्बर 1069/246 रकबा 0.2655 हैक्टयर, आराजी नम्बर 245/2 रकबा 0.4552 हैक्टयर, आराजी नम्बर 321/2 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 322/2 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 327/2 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 332/2 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 868/2 रकबा 0.2529 हैक्टयर कुल किता 07 रकबा 1.5173 हैक्टयर भूमि स्थित है।	

उक्त वादग्रस्त आराजियात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के नाम पर दर्ज है एवं उक्त वादग्रस्त आराजियात पर वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है उक्त वर्णित आराजियात का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है एवं विपक्षीगण उक्त वादग्रस्त आराजियात का बिना विभाजन कराये ही उक्त भूमि पर जबरन पक्का निर्माण करा देंगें व उक्त भूमि को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण करा देगे तो वादीया को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थीया के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाना आवश्यक है कि विपक्षीगण ग्राम भोपालगढ पटवार हल्का भोपालगढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 365 मे आराजी नम्बर 634/1, 876/3, 883, 884, 888, 889/2, कुल किता 06 रकबा 1.4163 हैक्टयर भूमि एवं इसी प्रकार ग्राम नौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 127 मे आराजी नम्बर 1069/246, 245/2, 321/2, 322/2, 327/2, 332/2, 868/2, कुल किता 07 रकबा 1.5173 हैक्टयर भूमि के उपयोग– उपभोग व काश्त करने पर किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे, भूमि को अन्तरण नहीं करें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

हमनें वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया की संयुक्त शामलाती भूमि होने से प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में है। विपक्षीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी को अन्य को विक्रय/अन्तरण कर दिया गया तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वकील प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर निवेदन को एक... अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम भोपालगढ़ पटवार हल्का भोपालगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 365 मे आराजी नम्बर 634/1, 876/3, 883, 884, ... 889/2, कुल किता 06 रकबा 1.4163 हैक्टयर भूमि एवं इसी प्रकार ... मौगांवा पटवार हल्का भोपालगढ़ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 127 मे आराजी नम्बर 1069/246, 245/2, 321/2, 322/2, 327/2, 332/2, 868/2, कुल किता 07 रकबा 1.5173 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजियात के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें, प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल नहीं करें, वादग्रस्त आराजियात के किसी भी भाग को हस्तान्तरित नहीं करे व न अन्य से करावें। मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रोसेस सम्मन पेश करने पर जारी करें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 09.09.2024 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

9/9/24

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष
पीठासीन [illegible] अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। [illegible] साबिक आदेश
दिनांक 20/11/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
आदेश से रीडर

20/11/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.।
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण सं. 35/2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों के मध्य सुलह/राजीनामा हो जाने से प्रार्थनापत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इस हेतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली की आदेशिका पर Not Press अंकित किये जाने से पत्रावली में कार्यवाही जारी रखा जा Dwp की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
20/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

Not Press
वादिया अधिवक्ता